

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

हजारी

बनाम

जगमाल

किस्म मुकदमा-212 रा0का0अधि0 1955

नम्बर-36 वर्ष:-2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.06.2023	<p>यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रेमप्रकाश गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक-.....10-8-23..... को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	
10-8-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/रूपनगढ़ पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक12-10-23..... को पेश हो।</p>	
12-10-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तलबी रिपोर्ट प्राप्त नहीं, इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 7-12-23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	
7-12-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में Not Press जाहिर किया, अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल बुझाए होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	<p>Not Press Prakash Adh (10/12/23)</p>